DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

ACTIONS AGAINST THE MIS-USER OF THE PROPERTIES IN THE NCT OF DELHI

In compliance to the orders dated **01.11.2018** of the Hon'ble Supreme Court in the Court Case WP(C) No. **4677/1985** titled M C Mehta Vs Union of India, the public is informed about the following agreed procedure for sealing of premises that are being mis-used in NCT of Delhi:

- The concerned municipal authorities, accompanied if necessary, by the representatives of the Monitoring Committee, will visit the premises which are allegedly being misused for unauthorized activity. The team will video-graph the unauthorized activity in the presence of the persons who are misusing the premises for unauthorized activity.
- It will be put to the persons who are mis-using the premises for unauthorized activity to produce the permission or the licence to carry out that unauthorized activity. In the event, such a permission or licence is produced the matter closes then and there.
- In the event, the persons are unable to produce any permission or licence, he or she will be given 48 hours' to produce the permission or licence.
- At the end of those 48 hours, the team which had video-graphed the unauthorized use or mis-use will visit the premises again and if the persons concerned are in a position to produce the licence or permission, the matter ends then and there.
- However, in the event the persons are unable to produce any permission or licence, the premises will be sealed due to the unauthorized mis-use.
- However, further, if the person or person In-charge gives an undertaking which will be video recorded that the mis-use will be stopped, then 48 hours' time will be given for stopping the mis-use.
- An affidavit will be filed before the concerned authority within 48 hours in terms of this Court's order dated 24.03.2006 [reported in (2006) 3 SCC 429] to the effect that the unauthorized activity will not be started or some other unauthorized activity will not be started.
- Entire process of stoppage of unauthorized activity / mis-use will be completed within 48 hours in some circumstances and on the outside within 96 hours.

Please give your feedback on DDA Apps at Google play

Please visit DDA's website: www.dda.org.in or Dial Toll free No. 1800110332

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सम्पत्तियों के दुरूपयोगकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई

न्यायालय मामले डब्ल्यू पी (सी) सं. **4677/1985** शीर्षक एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक **01.11.2018** के आदेशों के अनुसरण में जनता को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दुरूपयोग किए जा रहे परिसरों को सील करने के संबंध में निम्नलिखित सम्मत कार्य-प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाता है:-

- सम्बन्धित नगर निगम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, निगरानी समिति के प्रतिनिधियों के साथ उन परिसरों का दौरा करेंगे, जिनका कथित रूप से अनाधिकृत कार्यकलापों के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है। यह टीम उन व्यक्तियों की उपस्थिति में अनाधिकृत कार्यकलापों की वीडियोग्राफी करेगी, जो अनाधिकृत कार्यकलापों के लिए परिसर का दुरूपयोग कर रहे हैं।
- अनाधिकृत कार्यकलापों के लिए परिसरों का दुरूपयोग कर रहे व्यक्तियों को अनाधिकृत कार्यकलाप को संचालित करने के लिए अनुमति या लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। ऐसी अनुमति या लाइसेंस प्रस्तुत करने की स्थिति में मामला उसी समय वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा।
- यदि वे व्यक्ति कोई अनुमति या लाइसेंस प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अनुमति या लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा।
- उन 48 घंटों की समाप्ति पर वह टीम जिसने, अनाधिकृत उपयोग या दुरूपयोग की वीडियोग्राफी की थी, परिसर का दोबारा दौरा करेगी और यदि संबंधित व्यक्ति लाइसेंस अथवा अनुमति प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे, तो मामला उसी समय और वहीं समाप्त कर दिया जाएगा।
- तथापि, यदि वे व्यक्ति कोई अनुमति या लाइसेंस प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो परिसरों को अनाधिकृत दुरूपयोग के कारण सील कर दिया जाएगा।
- तथापि, इसके अतिरिक्त, यदि वह व्यक्ति या प्रभारी व्यक्ति यह वचन देता है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी कि दुरूपयोग को रोक दिया जाएगा, तो दुरूपयोग को रोकने के लिए 48 घंटों का समय दिया जाएगा।
- इस न्यायालय के दिनांक 24.03.2006 के आदेश [(2006)3 एस.सी.सी.429 में सूचित] के संबंध में संबंधित प्राधिकरण के समक्ष 48 घंटों के अंदर इस आशय का एक शपथ पत्र दर्ज किया जाएगा कि अनाधिकृत कार्यकलाप शुरू नहीं किया जाएगा या कोई अन्य अनाधिकृत कार्यकलाप शुरू नहीं किया जाएगा।
- अनाधिकृत कार्यकलाप/दुरूपयोग को रोकने की सम्पूर्ण प्रक्रिया 48 घंटों के अंदर कुछ परिस्थितियों में और बाहर होने पर 96 घंटों के अन्दर पूरी की जाएगी।

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें

कृपया दि.वि.प्रा की वेबसाइट www.dda.org.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें